Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

जनजाति की अवधारणा एवं उनके संरक्षण के प्रावधान का एक विधिक विश्लेषण

डॉ. निधि कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग, बी.एम. व्यावसायिक अध्ययन संस्थान, इन्दौर

ज्योति गर्ग, शोधार्थी, विधि अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

सार

जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था जो अब भी राज्य के बाहर हैं। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। जनजाति एक पारंपरिक समाज का वो हिस्सा है जो एक समान संस्कृति, बोली और धर्म से आते हैं। उनमें एकता की भावना भी प्रबल होती है। जनजाति का नेतृत्व आमतौर पर एक व्यक्ति करता है। जनजाति को आदिवासी भी कहा जाता है। सरलतम रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है, जिसका एक सानिध्य वाले भूखण्डों पर अधिकार हो और जिनमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन सामान्यतः निरंतर संपर्क तथा कतिपय सामुदायिक हितों में सामनता से उत्पन्न हुई हो। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है, इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किये गये हैं।

संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत भारत में जनजाति समुदायों को मान्यता दी गई है। इसलिए संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में दिया गया है। जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4क) में दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण एवं उन्नत करने के लिए संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं, जिससे कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सकें। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में उल्लेखित प्रावधानों के साथ पठित अन्य विशिष्ट सुरक्षा अनुच्छेद 244 में उपलब्ध है।

कुंजी शब्द

अनुसूचित, जनजाति, संरक्षण, प्रावधान।

विवेचना

भारत की जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.61 प्रतिशत है। 600 से अधिक समुदायों को सभी राज्यों में जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त और अनुसूचित जनजाति के रूप में भारत के संविधान का अनुच्छेद

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

342 के अंतर्गत अधिसूचित है। देश भर में जनजाति देश के सात मुख्य क्षेत्र उत्तर–पूर्वी राज्य हैं, उप–हिमालयी क्षेत्र उत्तर और पश्चिम भारत सहित मध्य और पूर्वी भारत दक्षिण क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में जनजातीय समूह व्यापक रूप से भिन्न पारिस्थितक और भू–जलवायु विभिन्न स्थितियां (पहाड़ी, जंगल, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र आदि) में निवास करते हैं। कुछ क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बावजूद, ये आदिवासी समुदायों में आवश्यक विशेषताएं समान हैं, जिनमें आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव और विशिष्ट संस्कृति कि साथ सीमित संपर्क बड़ा समुदाय और आर्थिक पिछड़ापन भी शामिल है। ये जनजातियां, जिन्हें आमतौर पर स्वदेशी लोग माना जाता है, या संवैधानिक भाषा में 'मूल निवासी' को ' अनुसूचित जनजाति ' कहा जाता है। शब्द अनुसूचित जनजाति के मूल निवासी, असभ्य लोग, आदिवासी, वन्यप्राणी, आदिमजाति, गिरीजन जाति, आदिवासी स्वदेशी आदि समानता रखती हैं। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग प्रकृति में प्रशासनिक और सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधानों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिससे आदिवासी लोगों के संवैधानिक अधिकार और लाभ जो पीड़ित हैं, ऐतिहासिक रूप से शोषण और निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं, आदिवासियों ने कई सदियों से हर तरह के अन्याय को झेला है। चुपचाप, विनम्रता से और असहाय होकर, बिना किसी प्रतिरोध के आज, सेंट्रल और राज्य सरकारें आदिवासी लोगों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

जनजातियों की अवधारणा

नवविज्ञानी और समाजशास्त्रियों ने जनजातियों को पहचान और जातीय गतिशील और बहुआयामी के आधार पर जनजातियों को अलग–अलग परिभाषित करने का प्रयास किया है। जनजाति अंग्रेजी शब्द ट्राइब्स (Tribes) से प्रेरित है। आदिवासियों में कभी–कभी गरीब या आम जनता के रूप में जाना गया। जनजाति शब्द पूर्वजो के एक सामान्य से वंश का दावा करने वाले व्यक्तियों के समुदाय को दर्शाता है, केवल यह सोलहवीं सदी में कहीं अंग्रेजी भाषा में दिखाई दिया। जनजाति व्यक्तियों का समूह जिनकी अपनी पहचान और सांस्कृतिक विशेषताएं हों। आदिवासियों ने अपने समूह या समाज को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन का तरीका उनके पास है, प्रथागत कानून, जो अलिखित है, लेकिन वे उनका सख्ती से पालन करते हैं। भारत में, देशी जनजातियों को बड़ी संख्या में उप–वर्गों में विभाजित एवं उप–विभाजित किया गया है। आदिवासी समुदाय भारतीय सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण सामाजिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अक्सर "आदिवासी", "आदिम" आदि कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन संविधान इसे संदर्भित करता है।

अनुसूचित जनजाति

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, मानव विज्ञानी और प्रख्यात विद्वानों ने भारत में जनजातियों की सटीक परिभाषा दी है। जनजाति एक सामान्य नाम वाले परिवारों का एक संग्रह, एक आम बोली बोलने बाला, एक सामान्य क्षेत्र पर कब्जा या निवास करने वाला और आमतौर पर अंतर्विवाही नहीं है, हालांकि मूल रूप से

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

ऐसा हो सकता था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने आंशिक और पूर्ण रूप से अच्छी संख्या में सृजित किए गये बहिष्कृत क्षेत्र है। भारत की जनजातियों को पिछड़ा वर्ग माना जाता था, लेकिन बाद में इस शब्द का इस्तेमाल भारतीय समाज के कमजोर वर्ग के लिए किया जाने लगा। जनगणना रिपोर्ट 1951 ने उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में संदर्भित किया, भारत के संविधान में 'जनजाति' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में 'अनुसूचित जनजाति' शब्द लाया गया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को जनजातियों या जातियों को सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है।

जनजातियों के विशिष्ट लक्षण और विशेषताएं

बहुत से मानव विज्ञानी, विभिन्न प्रख्यात विद्वान और आयुक्त भारत की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपार्ट और सम्मेलन की रिपोर्टों में भारत की जनजातियों की विशिष्ट विशेषताओं पर ध्यानाकर्षण किया है। आदिवासी समूह जो संस्कृतिकरण या अवशोषण का विरोध करते रहे हैं, उनके पास कुछ विशेषताएं हैं, जिन्हें जनजातियों की सामान्य विशेषताएं माना जा सकता है। आमतौर पर, जनजातियाँ सभ्य दुनिया से बहिष्कृत जंगलों और पहाड़ियों के दूर–दराज के हिस्से में रहती हैं, वे इन तीन श्रेणियों नीग्रो, आस्ट्रेलोइड और मांगोलीयन में से एक संबंधित हैं, जो एक ही आदिवासी बोली बोलते हैं। वे एक आदिम धर्म से संबंधित हैं, जिसे जीववाद कहा जाता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व आत्माओं की पूजा, जनजाति प्राचीन व्यवसाय जैसे शिकार करना, वनोपज एकत्र करना आदि हैं। वे अपने भोजन की आदतों में मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। अर्थात् वे मुख्य रूप से मांस खाते हैं, वे अपनी आदतों से खानाबदोश हैं। उनके पास विशिष्ट संगीत और नृत्य, साथ ही मनोरंजक पेय सहित सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। जनजाति एक विशिष्ट और सामान्य भौगोलिक स्थान में रहती है और एक जनजाति के सदस्य के पास की चेतना होती है, आपसी एकता और एक आम भाषा बोलती है। जनजाति अपने बीच रक्त के संबंधों में विश्वास करती है। जनजाति अपने स्वयं के राजनीतिक और धार्मिक संगठन का पालन करते हैं, जो सामाजिक समरसता बनाए रखता है। उनके लिए धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ तक कि जनजातीय, राजनीतिक और सामाजिक संगठन की जड़ भी है, जिसने धार्मिक पवित्रता और मान्यता प्रदान की है।

जनजातियों की समस्याएं

जनजातियों का आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने से सदैव कर्जदार की स्थिति बनी हुई है। वह इस कर्जदारी से इसलिए भी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनके द्वारा उत्पादित अथवा उनके द्वारा इकट्ठा की गयी वन वस्तुओं का उन्हें मूल्य नहीं मिल पाता, जितना उनको मिलना चाहिए। जनजातियों में अल्प विकास से जुड़ी बीमारियां, कुपोषण, संक्रमण रोग, मातृ व बाल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी बहुत अधिक पायी जाती हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में एक समान राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे उनके परंपरागत अधिकार छिन गये और यह सिलसिला निरंतर जारी है। कभी विकास की गतिविधियों के कारण, तो कभी संपर्क के कारण जनजातियों

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

की समस्याएं बढ़ती गई। जनजातियों की प्रमुख समस्याओं को निम्न प्रमुख बिंदुओं में संक्षिप्त संदर्भ के वृहद अर्थ में इस प्रकार से समझा गया है

1. **दुर्गम निवास**

   यह जनजातीय समुदाय के लोगों की एक प्रमुख समस्या है। दुर्गम एवं दूरस्त स्थान में निवास करते हैं। आवागमन में असुविधा होती है और संचार साधनों का अभाव होता है, इस वजह से मुख्यधारा से कट जाते हैं।

2. **अशिक्षा**

   अशिक्षा जनजातीय समूह की एक प्रमुख समस्या है। शिक्षकों एवं सुविधाओं की कमी आदि ऐसे कारक हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार को बाधित करती है।

3. **प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की समाप्ति**

   जनजाति समूहों का हमेशा से प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण रहा था। परंतु ब्रिटिश शासन आने के बाद राजकीय नियंत्रण लागू हो गया। परिणामस्वरूप परंपरागत प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय नियंत्रण समाप्त हो गया।

4. **बेरोजगारी**

   प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय नियंत्रण ना होने तथा कम शिक्षित होने के कारण नई (आधुनिक) व्यवस्था में इनके लिए रोजगार के साधन भी सीमित हैं।

5. **विस्थापन एवं पुनर्वास**

   जनजातीय क्षेत्रों में खनिज खदानें, बिजली परियोजना, बड़े बांध तथा विशाल औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने हेतु व्यापक भूमि अधिग्रहण हुए हैं। जिस वजह से विस्थापन की समस्या ने जन्म लिया।

6. **निर्धनता**

   अशिक्षा, बेरोजगारी तथा अपनी आजीविका के साधनों से वंचित होने की वजह से जनजातीयों में गरीबी, भुखमरी की समस्या का सामना व भारी ब्याज वहन करते हैं।

7. **पहचान का क्षय**

   जनजातियों की परंपरागत संस्थानों एवं कानूनों का आधुनिक संस्थानों एवं कानूनी व्यवस्था के साथ टकराव होने से जनजातीय पहचान के क्षय की आशंकाओं का जन्म हुआ।

8. **स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ एवं कुपोषण**

   जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं व्याप्त हैं। जिनका प्रमुख कारण अशिक्षा, निर्धनता एवं असुरक्षित आजीविका का साधन है। इन क्षेत्रों में पीलिया, हैजा, मलेरिया जैसी बीमारियां व्याप्त रहती हैं।

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

इसके अलावा इन क्षेत्रों में कुपोषण से जुड़ी समस्याएं जैसे– लौह तत्व की कमी, रक्ताल्पता तथा उच्च शिशु मृत्यु दर बड़ी समस्या हैं।

9. मदिरापान

जनजातीय समूहों में मदिरापान परंपरा का हिस्सा है।

10. शोषण

जनजातीय क्षेत्रों के संसाधनों पर राजकीय नियंत्रण होने के बाद बाहरी लोगों का इनके क्षेत्रों मे प्रवेश हुआ। इन बाहरी अधिकारी, कर्मचारी एवं भूस्वामियों ने जनजातियों का शोषण किया। इन समस्याओं के अलावा जनजातियों में एकीकरण की समस्या तथा राजनैतिक चेतना का भी अभाव रहा। आगे जनजातियों में लैंगिक मुद्दे ने भी जन्म लिया।

जनजातियों में अन्य संस्कृति ग्रहण की वजह से भी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं:–

1. जनजाति कला का ह्रास
2. जनजाति संस्कृति के प्रति तिरस्कार
3. जनजाति भाषा का ह्रास
4. समायोजन की समस्या

अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान और विधायी ढ़ांचा

1950 में, भारत के संविधान को अपनाया गया था। जनजातियों के प्रत्येक सदस्य को भारत के किसी भी अन्य नागरिक के समान ही न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। वस्तुतः जनजातियाँ समाज पिछड़ी और शोषित हैं, जिन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जनजाति समुदायों का एकीकरण और उन्नति के लिए संविधान ने राष्ट्र को दो प्रावधान से प्रतिबद्ध किया है। सबसे पहले अनुसूचित जनजातियों का सम्मान उनकी विशिष्ट जीवन शैली की सुरक्षा; और दूसरा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण और नकारात्मक भेदभाव से सुरक्षा। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए, संविधान ने विशेष प्रावधान बनाये जो मुख्य तौर पर तीन भागों में विभाजित है:–

1. सुरक्षात्मक उपाय,
2. विकासात्मक उपाय और
3. राजनीतिक उपाय

संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है, जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4क) और 16(4ख) में किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों एवं अधिकारों का संरक्षण एवं उनकी उन्नति करने के लिए संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं, जिससे वह राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सके।

अनुच्छेद 23 जो देह व्यापार, भिक्षावृत्ति और बालश्रम को निषेध करता है, का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है। इस अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए, संसद ने बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 अधिनियम किया। उसी प्रकार, अनुच्छेद 24 जो किसी फैक्ट्री या खान या अन्य किसी जोखिम वाले कार्य में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के नियोजन को निषेध करता है, इसका भी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इन कार्यों में संलग्न बाल मजदूरों का अत्याधिक भाग अनुसूचित जनजातियों का ही है। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में उल्लेखित प्रावधानों के साथ पठित अन्य विशिष्ट सुरक्षण अनुच्छेद 244 में उपलब्ध हैं।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 164(1) उपबंध करता है कि छत्तीसगढ, झारखण्ड, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारतसाधक हो सकेगा। अनुच्छेद 243घ पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करता है। अनुच्छेद 332 सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करता है। अनुच्छेद 334 प्रावधान करता है कि लोक सभा और राज्य विधानसभाओं (और लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में नामांकन द्वारा एंग्लो–इंडियन समुदायों का प्रतिनिधित्व) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जनवरी 2010 तक जारी रहेगा।

राज्य विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 371क नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 371ख असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 371ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 371च सिक्कम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है।

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले संवैधानिक आदेशों में संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 37) द्वारा 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप उपरोक्त 2 संवैधानिक आदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 63) दिनांक 25 सितम्बर 1956, की धारा 4(प) और 4(पप) के अतंर्गत संशोधित किए गए थे। राज्य पुर्नगठन अधिनियम की धारा 41 और बिहार एवं पश्चिम बंगाल (क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, 1956 (1956 का 40) का अनुसरण करते हुए, राष्ट्रपति ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 को जारी किया। संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 को सूची संशोधन आदेश, 1956 की धारा 3(1) के तहत संशोधित किया गया जबकि संविधान में अनुसूचित जनजातियां (भाग ग राज्य) आदेश, 1951 को सूची संशोधन आदेश, 1956 की धारा 3(2) के तहत संशोधित किया गया।

अन्य पिछड़ा वर्गों के विशिष्टीकरण के लिए विभिन्न वर्गों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेकर की अध्यक्षता में) 1953 में गठित किया गया था। कालेकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की। आयोग ने अनुसूचित जनजातियों को भी अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश की संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों की सूची में नये समुदायों के विशिष्टीकरण की मांग की जांच के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (लोकुर समिति) की सूचियों के संशोधन पर एक सलाहकार समिति 1965 में बनायी गयी थी। उसके बाद संसद में प्रस्तुत संविधान आदेशों के संशोधन के लिए एक प्रारूप विधेयक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 (चंदा समिति) पर संसद की संयुक्त चयन समिति को भेजा गया था। एक अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान करने के लिए एक समुदाय हेतु निम्नलिखित आवश्यक विशेषताएं स्वीकार की गई–

(प) एकान्त और दुर्लभ पहुँच वाले क्षेत्रों में जीवन एवं आवास का आदिम स्वरूप।

(पप) विशिष्ट संस्कृति

(पपप) बड़े स्तर पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच

(पअ) भौगोलिक एकाकीपन, और

(अ) सभी दृष्टि से सामान्य पिछड़ापन

अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों की मांग पर विचारण करने के लिए और उपरोक्त मापदण्ड को ध्यान में रखते संविधान आदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 (1976 का संख्या 108) के द्वारा व्यापक रूप से संशोधित किए गए थे, जबकि कुछ राज्यों के संबंध में नये संविधान आदेश भी जारी किए गए थे। अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रवेशन या

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

निष्कासन के लिए संशोधित प्रक्रिया जून 1999 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रवेशन या निष्कासन के दावों पर निर्णय करने के लिए निम्नलिखित औपचारिकताओं का उल्लेख किया गया है–

केवल वे दावे जिन पर संबंधित राज्य सरकारें सहमत हैं, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस मामले पर विचार करते हैं। जब कभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सूची में किसी समुदाय के प्रवेशन के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, तो मंत्रालय उन अभ्यावेदनों को संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत अपेक्षित सिफारिश के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को उनकी टिप्पणियों/विचारों के लिए भेज दिया जाता है।

भारत के महापंजीयक, यदि राज्य सरकार की सिफारिशों से संतुष्ट हैं, तो प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेज दिया जायेगा। उसके बाद, सरकार प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास उनकी सिफारिश के लिए भेज देती हैं, यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी मामले की सिफारिश करता है, तो मामला संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श के बाद मंत्रिमण्डल के निर्णय के लिए भेज जाता है। उसके बाद, मामले को राष्ट्रीय आदेश में संशोधन के लिए विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है।

प्रवेशन, निष्कासन या अन्य संशोधन के लिए दावे जिसको न तो भारत के महापंजीयक और न ही संबंधित राज्य सरकारों ने समर्थन दिया है, तथा इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी नहीं भेजा जाएगा। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के स्तर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार और भारत के महापंजीयक के विचारों के बीच असहमति है तो भारत के महापंजीयक के विचारों को राज्य सरकारों के पास आगे उनकी सिफारिशों को न्यायोचित ठहराने के लिए भेज दिया जाएगा। राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, प्रस्ताव को पुनः टिप्पणी के लिए भारत के महापंजीयक को भेजा जाता है। ऐसे मामलों में जहां भारत के महापंजीयक द्वितीय संदर्भ में राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के विचार के बिन्दुओं पर सहमत नहीं हैं, वहां भारत सरकार ऐसे प्रस्ताव की अस्वीकृति पर विचार कर सकती है।

उसी प्रकार उन मामलों में जहां राज्य सरकार और भारत के महापंजीयक प्रवेशन/निष्कासन के पक्ष में हैं, लेकिन उस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का समर्थन नहीं हैं, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्वतः सिफारिस किए गए दावों को भारत के महापंजीयक और राज्य सरकारों को भेज दिया जाएगा। उनके प्रत्युत्तर पर निर्भर रहते हुए, उन्हें यथासंभव लागू औपचारिकताओं के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

निष्कर्ष एवं सुझाव

जनजाति समुदाय के अपने संस्कृति, रीति परंपरा और जीवन शैली के आधार पर अलग हैं। जो अन्य समुदाय से उन्हे विशिष्ट बनाता है। जनजाति समाज कुछ मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है, जो प्राचीन काल से शोषित होते रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप जनजाति वर्ग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे हैं। अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की मौलिक विसंगतियों को दूर करने और उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़कर उनके स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है। जिसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं और संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान समाहित किए गए हैं। विभिन्न विधियों में विसंगतियों को दूर कर समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक हितों के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनके अतिरिक्त संविधाान के भाग 3, 4, 9, 9(क) और पांचवीं तथा छटवीं अनुसूची में अनेक अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त करते हैं।

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारें अनेक सराहनीय कार्यों को अंजाम दे रही हैं, फिर भी जनजातीय समस्याओं का निराकरण करने में अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं। वास्तव में भारत में जनजातियों के संरक्षण से संबंधित अनेक समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। इनके समाधान के लिए सगठित प्रयत्नों की आवश्यकता है। इनके संरक्षण में अधोलिखित सुझाव सार्थक हो सकते हैं :–

1. जनजातियों की आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के साथ ही स्वरोजगार की सुविधाओं को बढ़ाना जरूरी हैं। आदिवासी समुदाय की विभिन्न प्रकार की कलाओं को स्थानीय स्तर पर खरीदी एवं विक्रय की समुचित व्यवस्था की जाये।
2. जनजातीय ग्रामों में सहकारी समितियों की स्थापना कर शोषण को रोकने एवं कम ब्याज पर कृषि के लिए ऋण की सुविधा देने और कृषि की नयी और सस्ती प्रविधियों के प्रचार से भी उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किया जा सकता है।
3. जनजातीय सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान तब तक संभव नहीं है, जब तक बाह्य समूह जनजातियों पर अपने धर्म को अधिरोपित करने का अवसर मिलता रहेगा। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए उन्हीं की संस्कृति और भाषा के आधार पर आधारभूत शिक्षा, सुविधा, चिकित्सा एवं मनोरंजन प्रदाय हो, साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाना चाहिए, जो उनकी भाषा तथा संस्कृति से परिचित हों।

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

4. सामाजिक समस्याओं के निदान हेतु जनजातीय नेताओं एवं प्रतिनिधियों की सहायता से लोगों के विचारों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाय। जनजातीय क्षेत्रों में नये कानूनों को इस तरह लागू करना आवश्यक हैं, जो जनजातीय संस्कृति और परम्पराओं के लिये पूरी तरह से अनुकूल हों।
5. जनजातियों की शैक्षणिक समस्याओं के निवारण हेतु जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक शिक्षा में विस्तार करने की बहुत आवश्यकता है। व्यावहारिक शिक्षा कृषि, दस्तकारी, कृषि उपकरणों के निर्माण तथा हस्तशिल्प से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन, मछली–पालन, मुर्गी पालन तथा मधुमक्खी–पालन को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
6. जनजातियों में विकास कार्यक्रमों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना सबसे अधिक आवश्यक हैं। सहायता की संपूर्ण राशि कृषि अथवा दस्तकारी के उपकरणों के रूप में जनजातीय परिषद के माध्यम से वितरित होनी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित हो कि सहायता राशि हकदार को पहुँचाया जाये।
7. जनजातियों में राजनीतिक असंतोष के समाधान हेतु वर्तमान में विभिन्न सेवाओं में जितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं, उनमें जनजातीय अधिकारियों की नियुक्तियों को प्राथमिकता देना चाहिए।

संदर्भ

1. मेहता,प्यारे लाल, *भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण (पूर्वव्यापी में) एण्ड प्रॉस्पेक्ट्स),* (1991), पहला संस्करण, एचके पब्लिशर, दिल्ली, 159 पर।
2. 2011 की जनगणना का रिकार्ड, भारत सरकार, (2016), ीजजचरूध्ध् पर उपलब्ध हैं। हवअण्पदए पिछली बार देखी गई 12 पर वें मार्च, 2016।
3. ज्नजातीय मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, (2016), ीजजचरूध्ध् पर उपलब्ध है। जतपइंसण्दपबण्पदए पिछले 12 का दौरा किया वें मार्च, 2016।
4. थॉमसजॉन के, *आदिवासियों के मानवाअधिकार – (भारत में आदिवासियों की स्थिति),* (2005), खण्ड–प्, ईशा बुक पब्लिशर, दिल्ली।
5. पोंडाएन. के., *नीतियाँ कार्यक्रम और जनजातीय विकास के लिए रणनीतियाँ,* (2006), कल्पाजी प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. बेहुराएन.के., *पाणिग्रही नीलकंठ, आदिवासी और भारतीय संविधान,* (2006), प्रेमरावन प्रकाशन के लिए रावन, जयपुर पी–6।
7. ठाकुर देवेन्द्र, ठाकुर डी.एन., *जनजातीय जीवन और वन (भारत में जनजातीय जीवन),* (1994), दीप और दीप प्रकाशन, नई दिल्ली, पी–1।

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

8. ब्सु डॉ. दुर्गा दास, *भारत के सवंधिान का परिचय,* (2007), (19 वां संस्करण) (पुनर्मुद्रित), वाधवा एण्ड कंपनी लॉ पब्लिशर, दिल्ली, पी.पी.–92
9. विद्यार्थी ललिता प्रसाद, राय बिनय कुमार, द ट्राइबलकल्चर ऑफ इंडिया, 1995, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, दिल्ली।
10. गुप्ता डॉ. श्याम शंकर प्रसाद, *अम्बेडकर एण्ड कास्टपॉलिटिक्स इन इण्डिया,* (2010), सेंट्रम प्रेस, नई दिल्ली।
11. गर्ग वीके, *अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था,* (2011),अल्फा प्रकाशन, नई दिल्ली।
12. चौधरी आरएन, नकवीएसकेए, *अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम) पर अत्याचारों का अधिनियम, 1989,* 2012, ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली।
13. डॉ. बादल सरकार, *भारत में जनजातीय विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान,* (2013), खण्ड– ᵛ इंडियन जनरल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन।
14. सीता कक्कोथ, *केरल के आदिम जनजातीय समूहः एक स्थितिजन्य मूल्यांकन,* (2005), खण्ड–3, जनजातियाँ और जनजातियों के अध्ययन का प्रकाशन।
15. रेडहल गौरव, दहिया उपासना, *भारत में आदिवासियों के अधिकारों तक पहुंच के संबंध मेंन्याय,* (2013), खण्ड–2, अंक–1, सामाजिक–कानूनी विश्लेषण के अंतराष्ट्रीय जर्नल और ग्रामीण विकास प्रकाशन।
16. जैन नीपा, *भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और आजीविका के अधिकार,* (2013), खण्ड। 2 अंक 2, वॉयस ऑफ रिसर्च प्रकाशन।
17. पुराण केडी, *अस्पृश्यता और कानूनः जमीनी हकीकत,* (2000) ज्ञान प्रकाशन हाऊस, नई दिल्ली।
18. सलाह केके जयशंकर, फिलिप जॉनसन, *संवैधानिक कानून,* (2011) पैसिफिक बुक्स इंटरनेशनल, दिल्ली।
19. जसवाल विक्रम सिंह, जसवालश्वेता, *न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णअय्यर की सामाजिक न्यान की अवधारणा,* (2011) डीप एंड डीपपब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।